



Neutral Citation No. 2026:AHC:20840

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या-- 209 /2026

सुरेश

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

रघुराज सिंह (दिवंगत) एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता :

धनंजय कुमार ठाकुर

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता :

मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को आज ही के दिन रिट याचिका में राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज को प्रत्यर्थी संख्या 6 के रूप में शामिल करने की अनुमति दी जाती है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री धनंजय कुमार ठाकुर और राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मृदुल कुमार को सुना गया।
3. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"प्रयागराज स्थित उ० प्र० राजस्व परिषद को निर्देश दिया जाए कि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 के तहत मुकदमा संख्या आरईवी/4310 of 2024/ललितपुर (कम्प्यूटरीकृत मुकदमा संख्या एएल20240645004310) (सुरेश बनाम रघुराज सिंह) का निर्णय निर्धारित समय सीमा के भीतर करे।"

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 144 के तहत दायर मुकदमे से उत्पन्न याचिकाकर्ता की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका वर्ष 2024 से ही प्रत्यर्थी संख्या 6 के समक्ष लंबित है। उन्होंने लंबित कार्यवाही की आदेश पत्र भी प्रस्तुत किया ताकि यह दर्शाया जा सके कि मामले की सुनवाई में तेजी नहीं लाई जा रही है।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 6 उपर्युक्त कार्यवाही को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाए यह कार्य यथाशीघ्र और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद और विधि के अनुसार किया जाए।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



30 जनवरी 2026

सी. प्रकाश

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"